उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्या-क0नि0-2-1530/ग्यारह-9(15)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(61)-2017
लखनऊ:: दिनांक:: 23 अक्टूबर, 2017

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 2017) (जिसे इस अधिसूचना में आगे "उत्तर प्रदेश जीएसटी अधिनियम" कहा गया है) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, परिषद की सिफारिशों पर राज्यपाल एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करते है कि केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 12, सन् 2017) (जिसे इस अधिसूचना में आगे " केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम" कहा गया है), के अधीन नियुक्त अधिकारी, जो केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 54 या धारा 55 के प्रयोजनों के लिए बोर्ड के आयुक्त द्वारा समुचित अधिकारी (जिन्हें इस अधिसूचना में आगे "उक्त अधिकारी" कहा गया है) के रूप में प्राधिकृत हैं, उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम और तदधीन बनायी गयी नियमावली के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 54 या धारा 55 के अधीन, उक्त अधिकारियों की राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता में अवस्थित किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में, जो उक्त अधिकारियों को उक्त प्रतिदाय की मंजूरी के लिए आवेदन करता है, प्रतिदाय की मंजूरी के प्रयोजनों के लिए समुचित अधिकारियों के रूप में कार्य करेंगे।

2- यह अधिसूचना तारीख 13 अक्टूबर, 2017 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी ।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव